संख्या-10/2017/क0नि0-4-1313/11-2017-300(1)/2016ए-टी0सी0

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 09 नवम्बर, 2017**

विषयः- टैक्स इन्फारमेंशन सिस्टम के क्रियान्वयन एवं रखरखाव पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट से धनराशि की अवमुक्ति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-शोध/जी0एस0टी0/पत्रा0सं0-03/TINXSYS/2017-18/850/वाणिज्य कर, दिनांक 12-10-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य कर विभाग में टैक्स इन्फारमेंशन सिस्टम के क्रियान्वयन एवं रखरखाव के लिये वित्तीय वर्ष 2017-18 में गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स नेटवर्क के पक्ष में रू0-30,94,067.00 (रूपये तीस लाख चैरान्नवे हजार सड़सठ मात्र) की धनराशि की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत किया जायेगा तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययितता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद के लिये हैं, उसी कार्य/मद पर प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-09-जी0एस0टी0एन0 से संबंधित व्यय-42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि से किया जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

संख्या-10/2017/क0नि0-4-1313(1)/11-2017-तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ उ0प्र0।
5 वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
6. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।